

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2142 / 2013 / चित्तौड़गढ़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-तृतीय, चित्तौड़गढ़.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजस्थान स्टोन इण्डस्ट्रीज, कपासन, चित्तौड़गढ़.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 17 / 12 / 2015

निर्णय

1. यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-तृतीय, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अतिरिक्त आयुक्त अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 06/वेट/12-13/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.05.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009-10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.12.2011 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की 6 रूपये 5000/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2013 से स्वीकार किये जाने के विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधिनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।



लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध किया गया था। अतः धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।


6. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को कर निर्धारण हेतु एकमात्र नोटिस दिनांक 16.12.2011 के लिये जारी किया गया है, किन्तु उक्त नोटिस प्रत्यर्थी पर तामील होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यही माना जा सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है, जबकि धारा 58 के तहत शास्ति बिक्री विवरण प्रपत्रों के प्रस्तुत नहीं करने का कारण जाने बिना आरोपित नहीं की जा सकती है। धारा 58 का सुसंगत अंश उद्धरित किया जाना उचित होगा :-

58. Penalty for failure to furnish return. - Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorised by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed to furnish prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty

7. कर बोर्ड का नियमित रूप से यह मत रहा है कि वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने/नहीं करने का कारण बताने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

8. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।


12.12.2013
(मनोहर पुरी)
सदस्य